न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43/22	03.02.2022	19.12.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

सुशिला बाई उर्फ मोडी बाई पुत्री राधेश्याम पत्नी राजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी बिसलाई तहसील दीगोद हाल महेशपुरा तह0 अटरू जिला बांरा राज0

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 68 की खसरा संख्या 356 रकबा 1.22 है0 कुल किता 1 रकबा 1.22 है0 तथा ग्राम धनसुरी तह0 दीगोद की खाता संख्या 54 की ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 421 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम मोडीबाई के नाम से नाम0 दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादनी का नाम सुशिला बाई है तथा समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में भी वादनी का नाम सुशिला बाई है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया । जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बिसलाई की उक्त कुल किता 1 रकबा 1.22 है0 तथा ग्राम धनसुरी तहसील दीगोद की उक्त कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोडी बाई के स्थान पर सुशिला बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम मोडी बाई के स्थान पर मोडी बाई उर्फ सुशीला बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 68 की खसरा संख्या 356 रकबा 1.22 है0 कुल किता 1 रकबा 1.22 है0 तथा ग्राम धनसुरी तह0 दीगोद की खाता संख्या 54 की ख0न0 305 रकबा 1.00 है0, 421 रकबा 0.08 है0, 426 रकबा 0.36 है0, 430/476 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 रकबा 1.59 है0 भूमि में वादनी का नाम मोडी बाई के स्थान पर मोडी बाई उर्फ सुशीला बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद